



कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेंगे तथा किसी भी नाबालिंग/अवयस्क को स्टालों पर कार्य में नहीं लगाये जाने का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- 14— निविदा फार्म मूल्य रु० 200.00 + जी०एस०टी० जिसकी वापसी नहीं होगी का डी०डी० जो rm upsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्रेफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 15— निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर एक माह की धनराशि का बैंक ड्रेफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ (rmupsrtc lucknow) के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
- 16— निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिये रु० 10,000/- तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रु० 2000/- अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्रेफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या 1118रोपी/15-177एफए/01कानपुर-11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन रु० 2000/- व 2000/- का ड्रेफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 17— प्रत्येक स्टाल के लिये पृथक-पृथक निविदा ई-टेंडर के माध्यम से अपलोड की होगी।
- 18— समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अन्युकृति का नियम सक्षम समिति का ही मान्य होगा।
- 19— समय—समय पर उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
- 20— उ०प्र० परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न चलों सम्बन्धी नियम ती-२०१५ एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 1543एफए/02-177एफए/01-मेरठ दिनांक 25 जुलाई 2005 के अनुसार ही स्टालों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21— स्वच्छता के दृष्टिगत मूँगफली के दानों को छाड़कर मूँगफली की बिकी प्रतिबंधित रही।
- 22— वर्तमान में बस स्टेशन चारबाग में नामकरण संचालित है। अतः पूर्व नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2015 के अनुसार संचालित नानवेज स्टाल के पार रोटी आमलेट, रोस्टेड चिकन, ब्रेड टिक्का, मटन टिक्का एवं नानवेज बर्ग इत्यादि नानवेज का विक्रय जलायाना नहीं कराया जाएगा।
- 23— आलमबाग बस स्टेशन का नियमानुसार कार्य पूर्ण हो जाने पर का स्टेशन चारबाग का कुछ संचालन आलमबाग बस स्टेशन शिफ्ट होने के दृष्टिगत ललपान गृह-०१ स्टेशन का समय अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है तथा इस विज्ञप्ति में चारबाग बस स्टेशन से सम्बन्धित स्टालों का संचालन केवल चारबाग बस स्टेशन हेतु ही मान्य होगा।
- 24— इच्छुक निविदाकर्ता लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत होंगे। प्रथम तकनीकी व द्वितीय फाइनेन्सियल लिफाफ में संपर्क पहले लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्राप्ति-पत्र/दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां रखें। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त तर्तु पूर्ण होने पर ही द्वितीय लिफाफ (फाइनेन्सियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्त पूरी न करने वाले निविदाकर्ता फाइनेन्सियल विज्ञ के लिफाफ को अस्वीकार करते हुये वापस कर दिया जायेगा।

dc Q क्षेत्रीय प्रबन्धक  
लखनऊ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं इस अनुरोध के साथ की नीलामी को नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने का कष्ट करें:-
- 1— वित नियंत्रक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
  - 2— प्रधान प्रबन्धक(वित्त/पूर्व नीलामी/विपणन), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
  - 3— सहायक प्रबन्धक(एम०जीएस०), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
  - 4— जन सम्पर्क विकारी, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
  - 5— समस्त ई-प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
  - 6— सेवा प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
  - 7— समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये।
  - 8— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
  - 9— कोषाध्यक्ष, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
  - 10— नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

dc Q क्षेत्रीय प्रबन्धक  
लखनऊ।